न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी डॉ. नीरज के. पवन, आई.ए.एस

अपील संख्याः 131/2020 एल.आर.एक्ट
GCMS No. 2020/00166

1. लक्ष्मी देवी पत्नि बनवारी लाल जाति बिश्नोई साकिन चक 11 टी.के. तहसील रायसिंहनगर।
2. मनोहर लाल पुत्र जैसाराम जाति बिश्नोई साकिन चक 4 डी.डी. (डेलवा) तहसील पदमपुर।

— अपीलान्ट्स

बनाम

1. अम्पिल कुमार पुत्र आनन्द कुमार जाति बिश्नोई चक 11 टी.के. तहसील रायसिंहनगर।
2. पवन कुमार पुत्र सुशील कुमार जाति बिश्नोई चक 11 टी.के. तहसील रायसिंहनगर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायसिंहनगर।

— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री विजय कुमार पारीक — अभिभाषक अपीलांट्स
श्री ज्ञानसिंह बिश्नोई — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांक 27.04.2022

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 13.03.2020 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त भूमि चक 11 टी.के. के मुरब्बा नंबर 17 व पत्थर नंबर 198/294 के किला नंबर 11 ता 14 का 4 बीघा, किला नंबर 17 ता 24 का 8 बीघा व किला नंबर 25 में 10 बिस्वा कुल 12 बीघा 10 बिस्वा खातेदारी कृषि भूमि है। उक्त विवादित भूमि अपीलांट के पति स्व. बनवारी लाल के नाम राजस्व रिकार्ड

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

में दर्ज थी। बनवारी लाल के कोई संतान न होने से उसके देहान्त पश्चात् उक्त विवादित भूमि का विरासतन इन्तकाल अपीलांट लक्ष्मीदेवी के नाम नामान्तरकरण संख्या 608 दिनांक 03.06.2016 दर्ज हो गया। उक्त इन्तकाल संख्या 608 को अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशा.) श्रीगंगानगर ने दिनांक 13.03.2020 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार रायसिंहनगर को रिमाण्ड कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट श्री विजय कुमार पारीक ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलाधीन भूमि के खातेदार बनवारी लाल का देहान्त दिनांक 28.12.2015 को हो जाने के कारण एवं बनवारी के कोई संतान नहीं होने से उक्त विवादित भूमि का इन्तकाल अपीलांट लक्ष्मी देवी पत्नि बनवारी लाल के नाम नामान्तरकरण संख्या 608 दर्ज हो गया। अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट्स को अपील करने की लोक्स्टेण्डाई नहीं थी। अपील मियाद बाहर पेश की थी, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय के दौरान इस बिन्दु पर विचार नहीं किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पिता सुशील कुमार ने लक्ष्मी देवी के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर में एक अपील पेश की एवं उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के समक्ष घोषणात्मक कब्जे के आधार पर दावा पेश किया। प्रार्थना पत्र 212 आरटीए खारिज हो चुका है। राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर में दिनांक 22.07.2019 को अपील भी खारिज हो चुकी है।

कृष्णलाल जो रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पिता सुशील कुमार के रिश्तेदार है के द्वारा एक वाद लक्ष्मी देवी व मनोहर लाल के विरूद्ध पेश किया कि उक्त विवादित भूमि जरिये इकरारनामा बनवारी लाल से खरीदी जा चुकी है। कृष्णलाल का यह दावा दिनांक 25.02.2020 को सिविल न्यायालय ने खारिज कर दिया। रेस्पोडेन्ट्स ने तथाकथित झूठी वसीयत के आधार पर घोषणात्मक वाद उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के समक्ष पेश किया कि वसीयत के आधार पर खातेदार घोषित किया जावे तथा मनोहर लाल के पक्ष में किया गया बैयनामा भी निरस्त किया जावे। साथ ही स्थगन आदेश जारी करने की मांग की, जिसे उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर ने दिनांक 09.02.2021 को निरस्त कर दिया। वसीयत प्रथम दृष्ट्या अवैध है। हस्ताक्षर आदि सभी एफएसएल रिपोर्ट द्वारा फोरजरी साबित हुए है। इसप्रकार वसीयत फोरज्ड साबित हो गई है। अपीलांट लक्ष्मीदेवी द्वारा अपीलांट मनोहर लाल को उक्त विवादित भूमि जरिये बैयनामा बेचान कर दी। इसप्रकार मनोहरलाल हितबद्ध पक्षकार है। अधिनस्थ न्यायालय ने इंतकाल

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

निरस्त करके रिमाण्ड किया है जो गलत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 13.03.2020 निरस्त किया जावे।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपनी लिखित बहस में निम्नलिखित आर.आर.डी. का हवाला दिया हैं–

1. आर.आर.डी. 2016 पेज संख्या 770
2. आर.आर.डी. 1991 पेज संख्या 164
3. आर.आर.डी. 1999 पेज संख्या 98
4. आर.आर.डी. 2011 पेज संख्या 386
5. आर.आर.डी. 1984 पेज संख्या 261
6. आर.आर.डी. 2017 पेज संख्या 525
7. आर.आर.डी. 2002 पेज संख्या 280
8. आर.आर.डी. 2009 पेज संख्या 636
9. आर.आर.डी. 2008 पेज संख्या 587
10. आर.आर.डी. 1985 पेज संख्या 170
11. आर.आर.डी. 2016 पेज संख्या 548
12. आर.आर.डी. 1998 पेज संख्या 368

3– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स श्री ज्ञानसिंह बिश्नोई ने बहस के दौरान कथन किया कि रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रस्तुत वसीयत दिनांक 13.12.2015 उचित है। राजस्थान में वसीयत के प्रोबेट की आवश्यकता नहीं है। स्व. बनवारी लाल के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होने उक्त विवादित भूमि जरिये वसीयत रेस्पोडेन्ट्स के नाम कर दी थी। तहसीलदार रायसिंहनगर ने वसीयतनामा होते हुए भी नामान्तकरण संख्या 608 दिनांक 03.06.2016 विरासतन दर्ज कर दिया जिसे अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशा. श्रीगंगानगर ने अपने निर्णय दिनांक 13.03.2020 द्वारा निरस्त कर दिया, जो सही है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

4– हमने अधिनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। वादग्रस्त भूमि चक 11 टी.के. के मुरब्बा नंबर 17 व पत्थर नंबर 198/294 के किला नंबर 11 ता 14 का 4 बीघा, किला नंबर 17 ता 24 का 8 बीघा व किला नंबर 25 में 10 बिस्वा कुल 12 बीघा 10 बिस्वा खातेदारी कृषि भूमि है। वसीयत को जब तक सिविल न्यायालय से जायज साबित नहीं किया जाता तब तक वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करना अनुचित है। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा वसीयत के सही होने के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये। वादग्रस्त भूमि के खातेदार स्व. बनवारी लाल के कोई संतान न होने से उनकी एकमात्र जायज वारिस बनवारी लाल की पत्नि अपीलांट लक्ष्मीदेवी ही है। अतः तहसीलदार भू.अ. रायसिंहनगर द्वारा दर्ज विरासतन इंतकाल संख्या 608 दिनांक 03.06.2016 को अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 13.03.2020 द्वारा निरस्त किया जाना अनुचित प्रतीत होता है।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशा.) श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 13.03.2020 को निरस्त किया जाता हैं एवं तहसीलदार भू.अ. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर के नामान्तरकरण संख्या 608 दिनांक 03.06.2016 को बहाल रखा जाता है।

5– तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 27.04.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. नीरज के. पवन)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर